न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 246/2016
आरसीएमएस नं0 2018/00363
अन्तर्गत धारा 223 आरओएक्ट

हनुमान प्रसाद पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. दुलीचन्द्र पुत्र सोहनलाल
2. नारायणी पत्नी सोहनलाल
3. महेन्द्र कुमार पुत्र दत्तक पुत्र इन्द्रचन्द्र
4. परमेश्वरी पत्नी चम्पा लाल
5. बलराम पुत्र चम्पा लाल
6. शारदा पुत्री चम्पा लाल

} जाति ब्राहम्ण निवासी धानसीया तहसील नोहर।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
8. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.05.2018 उपखण्ड अधिकारी नोहर प्रकरण संख्या 75/2017 बअनवानी हनुमानप्रसाद बनाम दुलीचन्द आदि

श्री नरेन्द्र किशोर शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजय सिंह कडवासरा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री राजेश कुमार कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 7

निर्णय दिनांकः– 9-6-2021

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट वादी ने उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट 1955 के तहत पेश करते हुए तहसील नोहर की कुल 33.2161 भूमि के संबंध में अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट पेश किया एवं निवेदन किया कि ताफैसला विवादित भूमि को रहन/बैय एवं मुंतकिल ना किया जावे। अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश किया एवं कथन कियाकि वाउग्रस्त भूमि दादालाई भूमि है गैरसायल के दादा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से उसके लड़कों घडसीराम, सोहनलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उत्तरदाता व उसके भाईयों को ब.हि.ब. दे दी, इस बात का पता चला तो सुरजानाम ने भूमि को विक्रय सोहनलाल ने कराया है तो परिजनों में सुरजाराम को रोका और यह राजीनामा हुआ कि सोहनलाल ने जो रूपये सुरजा को दिये है वह वापिस दे दिये हैं। इसलिए वाद भूमि में कोई बंटवारा या लिखा पढी नही होगी सूरजाराम एक साल पहले फौत हो गया अब फर्जी दस्तावेजात लेकर उतरदाता को हैरान परेशान किया जा रहा है एवं मौके पर वाद भूमि गैरसायलान के कब्जा काश्त में चली आ रही है किसी प्रकार का विवाद नहीं है। इकरारनामा दिनांक 04.08.1987 का है इसलिए घाषेणात्मक अनुतोष व प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है। सायल का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से साबित है कि सायल का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त है एवं बंटवारानामा में सायल को विवादित भूमि का कब्जा सौंप दिया गया था एवं गैरसायल का विवादितभूमि पर कब्जा नही था एवं बंटवारानामा को इकरारनामा मानकर मातहत अदालत ने विधि विरूद्ध [illegible] पारित किया है। विवादित भूमि गैरसायल सं0 1 ता 6 [illegible] है इसके बावजूद भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सायल के मिथ्या कथनों पर आधारित प्रार्थना–पत्र पर विश्वास कर बिना पत्रावली का अवलोकन किये बिना जल्दबाजी में वर्षों पुराने रिकार्ड को नजरअंदाज कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। मातहत अदालत ने कानूनी स्थिति को नजर अंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। प्रथम दृष्टया मामला, अपरिमेय क्षति, सुविधा का सन्तुलन अपीलाण्ट के पक्ष में साबित है जिनका पर कोई गौर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आर्डर नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने सं0 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि वादग्रस्त भूमि दादालाई भूमि है गैरसायल के दादा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से उसके लड़कों घडसीराम, सोहनलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उत्तरदाता व उसके भाईयों को ब.हि.ब. दे दी, इस बात का पता चला तो सुरजानाम ने भूमि को विक्रय सोहनलाल ने कराया है तो परिजनों में सुरजाराम को रोका और यह राजीनामा हुआ कि सोहनलाल ने जो रूपये सुरजा को दिये है वह वापिस दे दिये हैं। इसलिए वाद भूमि में कोई बंटवारा या लिखा पढी नही होगी सूरजाराम एक साल पहले फौत हो गया अब फर्जी दस्तावेजात लेकर उतरदाता को हैरान परेशान किया जा रहा है एवं मौके पर वाद भूमि गैरसायलान के कब्जा काश्त में चली आ रही है किसी प्रकार का विवाद नहीं है। इकरारनामा दिनांक 04.08.1987 का है इसलिए घाषेणात्मक अनुतोष व प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2018 पेज 780 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार प्रश्गनत भूमि रेस्पो0 सं0 1 के नाम से दर्ज है जो विरास्तन से दर्ज हुई है। इकरानामा के आधार पर अपीलाण्ट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है या अथवा नहीं यह तथ्य मतू वाद में तय होना है। प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रेस्पोडेण्ट खातेदार काश्तकार एवं रिकार्डेड खातेदार होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला अपीलाट के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेण्ट के पक्ष में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

8. अपीलाण्ट का कथन है कि रेस्पोडेण्ट के पूर्वजों ने प्रश्नगत भूमि को जरिये इकरारनामा अपीलाण्ट को बेचान कर दिया था इसलिए उसका प्रश्नगत भूमि पर हक हिस्सा है इसके संबंध में इकरानामा पेश किया जो प्रमाणित नहीं हे। इकरारनामा जो कि प्रमाणित नहीं है इसके आधार पर रेस्पोडेण्ट को पाबंद किया जाना उचित नही है मात्र अनरजिस्टर्ड इकरारनामा के आधार किसी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को पाबंद किया जावेगा तो उसे अपूर्णीय क्षति होगी। इकरारनामा के आधार पर सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू भी अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत अन्य कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य अपीलाण्ट ने पेश नही किया है जिसके आधार अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जावे। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.05.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे।। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.6.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनिया आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:06 IST
Reason: SelfAttested